

I/314084/2024

पत्र संख्या/एफ0टी0. 48-5553/2021(एफ0सी0ए0)  
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य  
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि०प्र०।

प्रेषित: उप महा निरीक्षक, वन  
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय),  
सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लौंगबुड,  
शिमला, हिमाचल प्रदेश-1710001

दिनांक शिमला-1

विषय: **Diversion of 0.4122 ha of forest land in favour of Shimla Jal Parbandhan Nigam Limited, US Club, Forest Road Shimla-1, Himachal Pradesh, for the construction of Sewerage Treatment Plant 3.10 MLD at Ashwani Khad, within the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt.- Shimla Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Others/149118/2021)**

महोदय,  
आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर File No.FC/HPB/09/148/2022 दिनांक 04/05/2023 के  
संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी  
अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

- 1<sup>प</sup> वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 2<sup>प</sup> परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 3<sup>प</sup> **प्रतिपूरक वनीकरण:**  
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी०ए० के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर 830 पौधों का रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) वन मण्डलअधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(ग) प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमाकन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में जमा करा दी गई है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

- 4<sup>प</sup> **शुद्ध वर्तमान मूल्य:**  
क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख)शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।

- 5<sup>प</sup> राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापन पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08.02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि नेशनल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
- 6<sup>प</sup> FRA certificate with all the prescribed annexures as including records of consultations and meetings with DLC, SDLC, FRC and Gram Sabha of concerned villages is attached with the compliance report of user agency.
- 7<sup>प</sup> एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- 8<sup>प</sup> Consent to Establish issued by competent authority is attached with the compliance report of user agency.
- 9<sup>प</sup> NOC of Fisheries Department for this project attached with the compliance report of user agency.
- 10<sup>प</sup> An undertaking to the effect that open area of 0.0725 hectare will not be used for any other movement between the proposed structural components attached with the compliance report of user agency.
- 11<sup>प</sup> The user agency has deposited the amount of SMCP in view of the guidelines issued by the Ministry vide letter dated 07.06.2022 in Ad-hoc CAMPA. An undertaking in this regard is also attached with the compliance report of user agency.
- 12<sup>प</sup> The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded in E-green watch portal before the final approval. Undertaking in this regard, is uploaded with the compliance report of Stage-I approval by the user agency.
- 13<sup>प</sup> प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी संभव हो, अधिक से अधिक स्थानिय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख रेख में रोपित कर Greenery को maintain किया जाएगा। बचन बढ़ता upload कर ली गई है।
- 14<sup>प</sup> प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित वन भूमि पर 02 पेड़ों का कटान किया जाएगा। बचन बढ़ता upload कर ली गई है।
- 15<sup>प</sup> आस-पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण ने इसके लिए सहमती जताई है।
- 16<sup>प</sup> परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी ने इस प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) की राशी **181270/- ₹0**, शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशी **440836/- ₹0**, तथा **SMCP की राशी 645085** जो कुल **1267191/- ₹0** बनती है, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में जमा की है। Proforma की प्रतिलिपी आगामि कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 17<sup>प</sup> इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
- 18<sup>प</sup> केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Layout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बढ़ता की प्रति साथ संलग्न है।
- 19<sup>प</sup> वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बढ़ता संलग्न है।
- 20<sup>प</sup> प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।

I/314084/2024

- 21<sup>ण</sup> संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 22<sup>ण</sup> बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 23<sup>ण</sup> वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु उपोग नहीं किया जाएगा।
- 24<sup>ण</sup> केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।
- 25<sup>ण</sup> पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के एवं विकास के लिए समय-समय पर निर्धारित शर्तें मान्य होगी।
- 26<sup>ण</sup> बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 27<sup>ण</sup> यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।
- 28<sup>ण</sup> इनमें से किसी भी शर्त का या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तो भारत सरकार के पत्र संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार की गई कार्यावाही मान्य है।
- 29<sup>ण</sup> अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य  
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०